(15)

क्रम-संख्या—57

रजि. नं. एल. डब्लू./एन.पी. 896
लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0—41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 16 मार्च, 1999

फाल्गुन 25, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 625/सत्रह-वि-1-1(क) 2/1999

लखनऊ, 16 मार्च, 1999

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1999 पर दिनांक 16 मार्च, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1999

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1999]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 31 दिसम्बर, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश-अधिनियम संख्या 7 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है धारा 2 में, उपधारा (1) में अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 1998 तक" के स्थान पर अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 2000 तक" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गणेश शंकर पाण्डेय,
विशेष सचिव।

No. 625 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 2/1999

Dated Lucknow, March 16, 1999

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Uttpadan Mandi Samiti (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhiniyam. 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 7 of 1999) as passed by the Uttat Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 16, 1999.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI SAMITIS (ALPAKALIK VYAVASTHA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1999

[U. P. ACT NO. 7 OF 1999]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1999.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 31, 1998.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. 7 of 1972

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *for* the words and figures "till December 31, 1998" the words and figures "till December 31, 2000" shall be *substituted.*

Repeal and Savings

3. (1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhyadesh, 1998 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. S. PANDEY,
Vishesh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 281 सा० (विधा०)—(2437)—1999—850 (मैक०)।